रिपोर्ट करने योग्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

दाण्डिक अपील क्र. 1384–1385/2009

रणवीर सिंह एवं अन्य .....अपीलार्थी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य .....**उत्तरवादी**

दाण्डिक अपीलीय क्र. 700/2011 के साथ

निर्णय

न्यायाधीश एम. एम. सुंदरेश,

1. पुनः स्थापन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में विलंब हेतु क्षमा के आवेदन के साथ–साथ पुनः स्थापन हेतु प्रस्तुत आवेदन को दाण्डिक अपीलीय क्रमांक 700/2011 में स्वीकार किया गया है।

2. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर पीठ द्वारा, द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश शिवपुरी के द्वारा दिए गए आजीवन कारावास की पुष्टि करते हुए, ऐसे ही सामान दंडादेश को 07 वर्ष के कारावास में परिवर्तित करते हुए दी गयी दोषसिद्धि तथा दण्डादेश हमारे समक्ष चुनौतीधीन है।

प्रकरण जैसा कि अभियोजन के नजरिये से प्रकट किया गया है :

3. अपीलार्थी, उसके समूह के लोगों तथा मृतक पूर्व से शत्रुता रखते थे। यह एक जल विवाद के बाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि अपीलार्थी तथा ग्रामीणों ने कथित रूप से मृतक द्वारा संपत्ति की खरीदी के द्वारा उनके गांव में प्रवेश की सराहना नहीं की । घटना 25.07.1992 को लगभग 10.00 पूर्वाह्न पर हुई थी। पहली सूचना अ. सा.20, पुलिस अधिकारी, जिसने जांच भी की थी, द्वारा एक मृतक हुकुम सिंह की सूचना पर दर्ज की गई थी, जिसकी बाद में 28.07.1992 को मृत्यु हो गई थी।

4. प्रदर्श पी–28, देहाती नालिशी के तहत, जिसे प्रथम सूचना प्रतिवेदन के रूप में दर्ज किया गया था, मृतक हुकुम सिंह ने कथित रूप से पूर्व की घटना के बारे में एक बयान दिया था। देहाती नालिशी मे आगे बताया गया कि जब वह अन्य मृतक किशोरी काची और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अ. सा.

12, हाकिम सिंह के साथ शौच के लिए बाहर गया था, तो अभियुक्तों ने लाठी और कुल्हाड़ी सहित हथियारों से लैस होकर उन पर अंधाधुंध हमला किया। जैसा कि उनके पारिवार के सदस्यों तथा रिश्तेदार द्वारा देखा गया, उपरोक्त सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में हमलावरों द्वारा तीनो को उनके स्थान पर ले जाया गया। यह एक भोगीराम तथा भागो बाई, अ. सा.18 के अनुरोध के बावजूद किया गया था। उन पर भी हमला किया गया, परन्तु भोगीराम को रास्ते में फेंक दिया गया। अपराध के समय मृतक हुकुम सिंह के, बहू, बेटियों सहित, परिवार के सदस्य, बच्चू (अ. सा.13) तथा सिरनाम काची घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। मृतक हुकुम सिंह को जाने नहीं दिया गया,, इसलिए शिकायत दर्ज नहीं की जा सकी, जबकि किशोरी की मौत हो गई थी ।

5. घटना स्थल पर मृतक हुकुम सिंह द्वारा दिया गया बयान अ. सा. 20 द्वारा दर्ज किया गया था। अस्पताल में तीन दिन रहने के बाद 28 जुलाई, 1992 को उनकी मृत्यु हो गई। यह उल्लेखनीय है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष या डॉक्टर की उपस्थिति में बयान दर्ज करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। अभिलेखों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि मृतक के अंगूठे का निशान देहाती नालिशी के मध्य में लगा हुआ था और उस पर शब्द लिखे हुए हैं, जिससे यह आभास होता है कि यह बाद विचार लेख है।

6. विचारण न्यायलय द्वारा अपीलार्थी सरदार सिंह तथा धौला राम को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'भा. दं. सं.' कहा गया है) की धारा 148, 302/149 तथा 324/149 के अधीन दंडनीय अपराधों हेतु अन्य अभियुक्तों के साथ दो व्यक्तियों की हत्या करने हेतु दोषी ठहराया गया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने मृतक किशोरी काची की मृत्यु के लिए आजीवन कारावास की पुष्टि करते हुए, मृतक हुकुम सिंह की मृत्यु को 'भा. दं. सं.' की धारा 304 भाग II के तहत दंडनीय बना दिया। विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में से तीन की वर्तमान कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि उनमें से पांच ने अपनी सजा पूरी कर ली थी, और इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया था। अपीलार्थीगण नौ वर्ष की अवधि का कारावास काट चुके हैं।

7. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों का परीक्षण किया, जिनमें से 6 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे। एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, भोगीराम की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई, इसलिए एक साक्षी के रूप में परीक्षण नहीं हुआ।

8. अब हम अभियोजन के गवाहों के बयानों पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

<u>अ. सा. क्र.1:</u>

9. यह साक्षी मृतक हुकुम सिंह की पत्नी है। उन्होंने केवल न्यायालय में ही आरोपियों की पहचान की। स्वीकृत रूप से, कोई शिनाख्त परेड परीक्षण नहीं की गई थी। घटना के तीन साल बाद उसका बयान अभिलिखित किया गया। हालांकि, उसने जोर देकर कहा कि वह एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थी, परन्तु यह स्पष्ट रूप से मृतक हुकुम सिंह की देहाती नलिशी के विपरीत था। अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा कि कुछ अन्य लोगों ने भी आरोपी व्यक्तियों को हमले जारी रखने के लिए उकसाया था। यह उसके कथन थे कि आरोपी, मृतक तथा भोगीराम दोनों को अपने स्थान पर ले गए। एक अन्य बयान यह भी है कि उसे आरोपियों के नामों के बारे में नहीं बताया गया था, इसलिए वह उनमें से किसी को नाम से नहीं जानती थी। उसका यह भी अतिरिक्त साक्ष्य है कि वह न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त व्यक्तियों को नामित नही कर सकती, उसने स्वीकार किया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद "दं. प्र. सं." के रूप में जाना जाता है) की धारा 161 के तहत उनके द्वारा दिए गए बयान तथा उनके बयान के बीच कई विरोधाभास हैं। उनका एक बयान इस आशय का है कि गांव का चौकीदार वहां उपस्थित था, परन्तु उसे भी पुलिस को घटना की जानकारी देने से रोका गया था। मृतक व भोगीराम दोनों बेहोशी की हालत में थे। हमले के समय आरोपियों के समूह से संबंधित लगभग 60 से 70 लोग वहां उपस्थित थे।

10. अ. सा.1 ने एक स्पष्ट बयान दिया है कि अ. सा. 13, बच्चू, अन्य लोगों के साथ रात के समय पुलिस कर्मियों को घटना की रिपोर्ट करने के लिए गए थे। वह उन्हें घटना स्थल पर वापस ले आया। अपने बयान से वे इस आशय तक पीछे हटी कि यह कहना सही नहीं होगा कि सभी पांच पीड़ित बेहोशी की स्थिति में थे, तथा किशोरी को छोड़कर उन्होंने अपने बयान दिए।

<u>अ. सा. 4</u>:

11. यहां तक कि इस साक्षी ने भी न्यायलय में अभियुक्त की पहचान मात्र उनके चेहरे से की है क्योंकि वह उनके नाम नहीं जानती थी। वह एक आरोपी की पहचान नहीं कर सकी, जिसे उसे पहचानने के लिए कहा गया था। अ. सा.1 की तरह, उसकी उपस्थिति भी मृतक, हुकुम सिंह द्वारा अभिलिखित नहीं की गई थी। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा करते हुए उसने घटना के बारे में बताया। उन्होंने कुछ तथ्यों को प्रस्तुत करके अभियोजन पक्ष के संस्करण में भी सुधार किया जो उपलब्ध नहीं थे। हालांकि, उसने कहा है कि जब पुलिस दल आया तो मृतक आरोपी के दरवाजे पर पड़ा हुआ था। इस आशय का भी एक बयान दिया कि मृतक तथा घायल दोनों बेहोश पड़े थे। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुलिस दल 26.07.1992 को प्रातः 6.00 से 7.00 पूर्वाहन के बीच पहुंची। अ. सा. 4 का उपरोक्त बयान, मृतक हुकुम सिंह के कथित मृत्युपूर्व के बयान से शुरू होने वाले अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए मामले के विपरीत है।

<u>अ. सा. 12 :</u>

12. यह साक्षी देहाती नलिशी के अनुसार भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। वह एक घायल साक्षी भी है। हैरानी की बात है कि उन्होंने घटना की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, हालांकि अभियोजन पक्ष के अनुसार उनका बयान अभिलिखित किया गया है। एक से अधिक अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस ने उसका बयान दर्ज नहीं किया था और वह पहली बार न्यायालय में बयान देने आया है। उसने घटना दिनांक से लेकर अपने बयान तक घटना के बारे में किसी को नहीं बताया था। यह साक्षी पुनः स्पष्ट कथन करता है कि घटना के दिन आरोपी की तरफ करीब 50 से 100 लोग थे। ये सभी हमले की घटना में शामिल थे। वह उपर्युक्त व्यक्तियों में से किसी की भी स्पष्ट रूप से पहचान नहीं कर सका, जबकि उसने उपर्युक्त व्यक्तियों के बीच एक विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य का आरोप लगाया। पूरी भीड़ ने मृतक पर हमला किया। उसने पुलिस को यह नहीं बताया कि नामजद आरोपी ने उसके साथ हमला करने की कोशिश की। यह दिलचस्प रुप से उल्लेखित है कि इस साक्षी ने अन्य साक्षियों की उपस्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा। इसके अलावा, कथित तौर पर उन्होंने घटना को एक फरलॉन्ग की दूरी से देखा था, जो लगभग 200 मीटर है।

13. पूर्वोक्त कथन से, कोई भी अ. सा.12 से दर्ज साक्ष्य पर विश्वास नहीं कर सकता है, जैसा कि अन्य दो साक्षियों के मामले में चर्चा की गई है। यह भी स्पष्ट है कि यह साक्षी भी सैकड़ों अन्य लोगों की उपस्थिति के बारे में बात करता है, जो मृतक पर हमला करने के लिए एकत्र हुए थे।

<u>अ. सा. 13 :</u>

14. यह साक्षी घटना का एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का भी दावा करता है। उसके अनुसार, घटना के समय वह छिप गया था। इसके पश्चात् वह थाना गया, पुलिस अधीक्षक से मिला तथा शिकायत दर्ज करवाई। वह योजना प्रदर्श पी–16 तथा गिरफ्तारी ज्ञापन प्रदर्श पी–19 का भी साक्षी हैं। यहां तक कि अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान भी, उसने गवाही दी कि वह पुलिस कर्मियों के साथ अपराह्न 3.00 बजे से 4.00 बजे के आसपास घटना स्थल पर वापस आया, जो अभियोजन के प्रकरण में एक विरोधाभास है। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने जो कुछ भी बयान दिया था, वह दण्ड प्रक्रिया सहिंता की धारा 161 के तहत प्रदर्श डी–4 के रूप में दर्ज उनके बयान में नहीं पाया गया था। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के निर्देश के अनुसार थाना अधिकारी से मुलाकात की।यह उनका विशिष्ट प्रकरण है कि बयान पुलिस थाना में अभिलिखित किया गया था।

15. जब पुलिस दल घटना स्थल पर पहुंचा तो इस साक्षी ने मृतक और घायल साक्षी दोनों को अचेत अवस्था में पाया। घायल साक्षी तथा मृतक के बयान शाम 5 बजे अस्पताल में अभिलिखित किये गए।

16. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस साक्षी का साक्ष्य अभियोजन पक्ष के संस्करण की नींव पर प्रहार करता है। उसके साक्ष्य के साथ तीन प्रथम सूचना प्रतिवेदन हैं।

<u>अ. सा. 18:</u>

17. अ. सा. 18 एक मृतक किशोरी की पत्नी है । दूसरों की तरह, वह भी एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा करती है। घटना के बाद, वह पुलिस थाना गई तथा अपने अंगूठे के निशान लगाकर प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई। उसके साथ उसके देवर समेत तीन लोग थे। वह भी आरोपी का नाम नहीं जानती थी।

18. एक बार फिर, पूर्वोक्त बयान ने विभिन्न समय पर दी गई कई प्रथम सूचना प्रतिवेदन के तथ्य को दोहराया, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि आधिकारिक प्रतिवेदन पर विश्वास करना उचित नहीं होगा।

अ. सा. 20:

19. विवेचना अधिकारी को अ. सा. 20 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने ही मृतक से देहाती नलिशी को अभिलिखित किया था तथा इसे प्रथम सूचना प्रतिवेदन में परिवर्तित किया था। वह पूरी तरह से अलग संस्करण प्रस्तुत करते हैं। मुख्य परीक्षा में, वह कहता है कि उसे एक अज्ञात व्यक्ति से फोन कॉल आया था। उन्होंने अस्पताल में मृतक हुकुम सिंह का बयान भी दर्ज कराया है, परन्तु इसकी सूचना किसी को नहीं है। यद्यपि उसने कहा था कि उसने अ. सा. 12 (हकीम सिंह) का बयान भी दर्ज किया था, यह नहीं किया गया था, जैसा कि उक्त व्यक्ति द्वारा सही रूप में अभिसाक्ष्य दिया गया था, जिसे केवल पहली बार न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। प्रथम सूचना प्रतिवेदन के विपरीत, उन्होंने कहा है कि पीड़ित के परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे। यद्यपि, उसने कथित तौर पर हुकुम सिंह, अ. सा. 12 (हकीम सिंह), भोगीराम और अ. सा. 18 (भग्गो बाई) के बयान दर्ज किए हैं, उसने मृतक हुकुम सिंह के बयान के अलावा दिनांक और समय का उल्लेख नहीं किया, जो असामान्य प्रतीत होता है, इस तर्क पर विश्वास दिलाता है कि या तो वे किसी अलग समय पर अभिलिखित किये गए हैं या कि हुकुम सिंह का कोई बयान नहीं था। उसने एक बार पुनः यह कहते हुए अपने आप का खंडन किया कि उसने हुकुम सिंह का बयान घटनास्थल पर दर्ज नहीं किया, जबकि यह स्वीकार करते हुए कि अ. सा. 12 (हकीम सिंह) तथा भोगीराम के बयान उसके द्वारा नहीं लिए गए थे। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि उसे मौखिक आदेश दिया गया था।

20. एक विवेचना अधिकारी के रूप में, इस साक्षी से सच बोलने की अपेक्षा की गई थी। हालांकि विवेचना अधिकारी की प्रतिवेदन एक राय का गठन करेगी, अभियोजन पक्ष का यह मामला कि उसने ही प्रथम सूचना प्रतिवेदन के रूप में लिए गए मृतक के बयान को दर्ज किया है, एक बहुत

गंभीर संदेह पैदा करता है। यह स्पष्ट है कि उनके साक्ष्य न केवल विरोधाभासी हैं, बल्कि विनाशकारी भी हैं।

21. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर चर्चा करने के बाद, अब हम विचारण न्यायलय तथा उच्च न्यायलय के दृष्टिकोण पर विचार करेंगे।

<u>न्यायालयों के निर्णयः</u>

22. दोनों न्यायालयों ने अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर काफी अवलंब लिया है। प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के बयानों को न्यायालयों का समर्थन मिला। देहाती नलिशी में मृतक के बयान पर भी काफी अवलंब किया गया। जिन विरोधाभासों की ओर इंगित किया गया, उन पर सम्यक् ध्यान नहीं दिया गया। घटना के संबंध में साक्षियों के बयानों की एक दूसरे के साथ पुष्टि की गई थी। यह पता लगाने के बाद कि दो हत्यात्मक मृत्यु हुई थीं, अपीलार्थियों को दोषी ठहराकर एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा गया था।

<u>अपीलार्थियों के निवेदन :</u>

23. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दिए गए लिखित तर्कों पर अवलम्ब करते हुए व्यक्त किया कि अभियोजन पक्ष के संस्करण के अनुसार तीन अलग–अलग प्रथम सूचना प्रतिवेदन हैं। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में विसंगतियां या तो स्वयं विरोधाभासी हैं या एक–दूसरे के विरुद्ध हैं।

24 . जैसा अ. सा. 20 द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है, किसी भी गवाह ने देहाती नलिशी के अभिलेखन के बारे में बात नहीं की है। मृतक हुकुम सिंह अचेत अवस्था में था। प्रदर्श पी/28 में प्रयुक्त भाषा विधिक रूप से प्रशिक्षित दिमाग की ओर इशारा करती है। मृतक हुकुम सिंह के अंगूठे के निशान को साबित नहीं किया गया, और अंगूठे के निशान का स्थान एक गंभीर संदेह पैदा करता है। अ. सा. 20 कई जगह स्वयं का खंडन करता है। उन्होंने सूचना देने वाले व्यक्ति के नाम का खुलासा नहीं किया। इस प्रतिवेदन के पूर्व संस्करण को जानबूझकर दबाया गया था।

25. अ. स. 12 जिसे प्रदर्श पी 28 के अंतर्गत प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में दिखाया गया है की परीक्षा न कराने के संबंध में आत्यंतिक रूप से कोई स्पष्टीकरण नहीं है । वहां लगभग 50 से 100 लोग

उपस्थित तथा शामिल थे। भा.दं.सं. की धारा 149 के तहत आरोप नहीं बनता है क्योंकि अन्य व्यक्तियों को शामिल नहीं करने हेतु कोई स्पष्टीकरण नहीं था।

26. उपर्युक्त दावों को सिद्ध करने के लिए, विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर अवलम्ब किया हैः

- चरण सिंह तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2004) 4 एससीसी 205;
- नजाभाई देसुरभाई वाघ बनाम वलेराभाई देगनभाई वाघ तथा अन्य, (2017) 3 एससीसी 261
- बालमुकुंद शर्मा बनाम बिहार राज्य, (2019) 5 एससीसी 469 ;
- व्यास राम बनाम बिहार राज्य, (2013) 12 एससीसी 349;
- अकबर शेख तथा अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2009) 7 एससीसी 415;
- नागरजीत अहिर बनाम बिहार राज्य, (2005) 10 एससीसी 349;
- श्रेय तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1991 एससीसी (क्रिमि.) 1059;(1991) सप्ली (2) एससीसी 437;
- मुसा खान बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1977) 1 एससीसी 733;
- मुन्ना चंदा बनाम असम राज्य (2006) 3 एससीसी 752 (पैराग्राफ 12);
- देबाशीष दा तथा अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2010) 9 एससीसी 111 (पैराग्राफ 25);
- मनोज कुमार शर्मा तथा अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा अन्य, (2016) 9 एससीसी 1 (पैराग्राफ 30);
- जयप्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य तथा एक अन्य, (2012) 4 एससीसी 379 (पैराग्राफ 12);
- राजीवन और एक अन्य बनाम केरल राज्य, (2003) 3 एससीसी 355 (पैरा 12,13);
- थुलिया काली बनाम तमिलनाडु राज्य, (1972) 3 एससीसी 393 (पैरा 12);
- मुख्तियार अहमद अंसारी बनाम राज्य (एन.स.टी.दिल्ली) (2005) 5 एससीसी 258;
- राजा राम बनाम राजस्थान राज्य ,2005 एससीसी (क्रि.)1050:(2005) 5 एससीसी 272

<u>उत्तरवादी के निवेदन :</u>

27. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तीन प्रथम सूचना प्रतिवेदन के होने के तथ्य को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि दो घायल साक्षीग्रो ने घटना के बारे में बात की है, जिनमें से एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन का लेखक था। विरोधाभास कि प्रकृति मामूली हैं, तथा इसलिए उसे छोडा जाना चाहिये या अनदेखा किया जाना चाहिए।

28. मृतक हुकुम सिंह ने अ. सा. 20 के समक्ष एक बयान दिया है, जिसे मृत्युकालिक कथन माना जाना चाहिए।नीचे के दोनों न्यायालयों ने समवर्ती रूप से पाया कि अपीलार्थियों ने अपराध किया, इसलिए, इस न्यायालय द्वारा साक्ष्य का फिर से मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है।

<u>चर्चाः</u>

<u>विवेचना अधिकारी की भूमिकाः</u>

29. हम अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा दिए गए बयान पर पहले ही विचार कर चुके हैं। सारांश में, हम पाते हैं कि साक्षी तीन प्रथम सूचना प्रतिवेदनो के बारे में बात करते हैं। यहां तक कि मृतक हुकुम सिंह, अ. सा. 20, के बयान दर्ज करने पर भी, विवेचना अधिकारी बहुत स्पष्ट नहीं था। विसंगति का भी विस्तार वहां तक है जहां बयान दर्ज किए जाने के समय शव मिला था। एक विवेचना अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष, तथा उचित रीति से लोक सेवक के रूप में कार्य करे।उसकी चिंता सच्चाई का पता लगाने की है। अन्य साक्षियों द्वारा दिए गए कथन का छिपाया जाना स्पष्ट रूप से मामले की जड़ तक जाएगा। कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं जानता है, इसलिए इसका लाभ अपीलार्थियों को दिया जाएगा। हम **मध्य प्रदेश राज्य बनाम रतन सिंह और अन्य, (2020) 12 एस सी सी 630** मामले में इस न्यायालय के फैसले पर अवलम्ब करते है :

> "8. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अमितभाई अनिल चन्द्र शाह बनाम सीबीआई, (2013) 6 एस. सी. सी. 348:(2014) 1 एस. सी. सी. (आपराधिक) 309, मे बल दिया गया है कि संज्ञेय अपराध के संबंध में केवल सबसे पहली या पहली सूचना धारा 154 की आवश्यकताओं को पूरा करती है, और इसके पश्चात दूसरी प्राथमिकी नहीं हो सकती है। बल्कि इस तरह की सूचना को दूसरी प्रथम सूचना प्रतिवेदन कहना बेतुका या हास्यास्पद है। सुब्रमण्यम बनाम तमिलनाडु राज्य में, (2009) 14 एससीसी 415 :(2010) 1 एस. सी. सी. (क्रिमि.) 1392 में, इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि यदि कोई प्रथम सूचना प्रतिवेदन साक्षियों का कथन अभिलिखित करने के पश्चात् दर्ज की जाती है, तो ऐसी दूसरी सूचना साक्ष्य में अग्राह्य होगी। इसके अतिरिक्त, नल्लाबोथु रामुलु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2014) 12 एससीसी 261:

(2014) 6 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 673, मामले में न्यायालय का विचार था कि घायल साक्षियों के बयानों को प्रथम सूचना न मानना अभियोजन पक्ष के संस्करण पर संदेह पैदा करता है।

9. इस प्रकार, न केवल प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई (जो अस्पष्ट रही) जिसे इस मामले में जांच के आधार के रूप में लिया गया था, बल्कि पुलिस द्वारा प्राप्त वास्तविक पहली सूचना को जानबूझकर छिपाया भी गया था। ये कारक मिलकर अभियोजन पक्ष के संस्करण की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं, और हमें इस निष्कर्ष पर ले जाते हैं कि अभियोजन पक्ष के लिए एक अलग मामला बनाने और यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को अभियुक्त बनाने का प्रयास किया गया है।

10. इसके अतिरिक्त, घटना के तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने विभिन्न स्थानों को अपराध स्थल के रूप में वर्णित किया है। जहां तक अपराध के दृश्य का संबंध है, कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी युक्तिसंगत नहीं है। इसका मतलब है कि प्रत्येक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने कथित तौर पर अलग–अलग स्थानों पर हुई घटना को अलग–अलग तरीके से देखा होगा। वास्तविक प्राथमिकी को दबाने, अपराध के विभिन्न दृश्यों और अलग–अलग कहानियों से संबंधित तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परस्पर विरोधी बयानों के साथ सामूहिक रूप से यह प्रकट होता है कि अभियोजन पक्ष वास्तविक घटना को दबाना चाहता था और वास्तविक दोषियों की गलती छिपाया गया । प्रकरण में अभियोजन की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से दबा दी गई है।"

30. अरविंद कुमार @नेमीचंद बनाम राजस्थान राज्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1099:2021 (14) स्केल 6,

"**निष्पक्ष, दोषपूर्ण, छदम अन्वेषण**

40. लोक सेवक होने के नाते विवेचना अधिकारी से निष्पक्ष रूप से विवेचना करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा करते समय, उनसे सही निष्कर्ष पर आने के लिए उपलब्ध सामग्रियों की तलाश करने की अपेक्षा की जाती है। वह अपराधी के विरुद्ध अपराध से संबंधित है। यह वह अपराध है जिसकी उन्हें विवेचन करना है। जब भी कोई मानववध होता है, तो एक विवेचना अधिकारी से सभी पहलुओं को कवर करने की अपेक्षा की जाती है और इस प्रक्रिया में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या अपराध भा.दं.सं की धारा 300 के बिना भा.दं.सं की धारा 299 के तहत आएगा। दूसरे शब्दों में, यह संतुष्ट करना उसका प्राथमिक कर्तव्य है कि कोई मामला गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता या फिर हत्या की श्रेणी में आएगा। जब पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो, तो उसे भा.दं.सं की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मामला तैयार करने में अति उत्साही नहीं होना चाहिए। हमारा मानना है कि विवेचना अधिकारी के दिमाग में एक व्यवहार्य परिवर्तन की आवश्यकता है। आखिरकार, ऐसा अधिकारी न्यायालय का भी एक अधिकारी है तथा उसका कर्तव्य सच्चाई का पता लगाना तथा सही निष्कर्ष पर पहुंचने में न्यायालय की मदद करना है। वह किसी भी पक्ष, पीड़ित या अभियुक्त को नहीं जानता है, लेकिन केवल विधि द्वारा निर्देशित होगा तथा अपनी जांच में निष्पक्षता का प्रतीक होगा।

41. दोषपूर्ण विवेचना तथा सुविचारित तथा जानबूझकर की गई कार्यवाही या निष्क्रियता के बीच एक सूक्ष्म अंतर है। दोषपूर्ण अन्वेषण अभियुक्त के फायदे के लिए तब तक सुनिश्चित नहीं होगा जब तक कि यह अभियोजन के मूल प्रकृति के प्रकरण में ही नहीं जाता है। त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से निपटते समय न्यायालय से अपेक्षित है कि वह उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण करे तथा इस सिद्धांत पर सत्य का पता लगाए कि प्रत्येक प्रकरण में सत्य की ओर यात्रा शामिल है।अभियोजन पक्ष द्वारा या न्यायालय द्वारा कोई पांडित्य वाला दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए क्योंकि प्रकरण में नैतिकता के बजाय विधि का कोई तत्व शामिल है।

xxx **xxx** **xxx**

44. हम केवल निम्नलिखित निर्णय कुमार बनाम राज्य, (2018) 7 एससीसी 536 के माध्यम से निष्पक्ष जांच के लिये उपरोक्त सिद्धांत दोहराएंगे:

> "27. जांच प्राधिकारी द्वारा प्रकरण को जिस तरीके से आगे बढ़ाया गया है उसकी निंदा की जानी चाहिए। इस पहलू पर उच्च न्यायालय ने सही ढंग से गौर किया है कि पुलिस अधिकारियों ने उन कारणो से गिरफ्तारी को विफल कर दिया है जो उन्हें अच्छी तरह मालूम है। यद्यपि हम प्रभु बनाम राजा सम्राट [प्रभु बनाम राजा सम्राट, एआईआर 1944 पीसी 73] में निर्धारित अनुपात से अवगत हैं, जिसमें न्यायालय ने निर्णय दिया था कि गिरफ्तारी की अनियमितता और अवैधता अपराध की दोषिता को प्रभावित नहीं करेगी यदि वही पुख्ता सबूतों से साबित होता है, फिर भी इस मामले में इस तरह की अनियमितताओ से अंतर दिखना चाहिए की जांच अधिकारी तथ्यों को दबाने के लिए जिम्मेदार हैं।
>
> 28. दांडिक न्याय निन्दा से परे होना चाहिए। यह अप्रासंगिक है कि गवाहों के बयान में झूठ है या अभियुक्त का दोष। जांच प्राधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष तरीके से जांच करे तथा सच्चाई का पता लगाए। दोहराव की कीमत पर, मैं संबंधित अधिकारियों को याद दिलाना चाहूंगा कि वे अंतिम परिणाम को ध्यान में रखे बिना निष्पक्ष तरीके से जांच करें।इस मामले में जो कुछ हुआ है उससे हम अपनी आंखें नहीं मूंद सकते हैं; दोष या सबूतों की दृढ़ता के बावजूद, जिस पहलू में पुलिस ने तथ्यों को दबाने के लिए सक्रिय रूप से सांठगांठ की है, उसे उपेक्षित या अनदेखा नहीं किया जा सकता है"

45. एक निष्पक्ष अन्वेषण तब छदम हो जाएगा जब उसमें दमन अंतर्वलित होगा। उद्देश्य, चोटों और अन्य मौजूदा कारकों को दबाने से आरोप को संशोधित करने या बदलने का प्रभाव पड़ेगा और यह एक लापरवाह जांच होगी और इसलिए, एक झूठी कथा बन जाएगी। यदि न्यायालय यह पाते हैं कि अभियोजन प्रकरण की बुनियाद झूठी है तथा जानबूझकर दमन के खिलाफ निष्पक्षता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो अभियोजन का मामला तब धरातल पर आ जाता है जब तक कि किसी अन्य आरोप पर दंड देने हेतु कोई निर्विवाद साक्ष्य न हो।"

xxx xxx xxx

<u>फल्सस इन उनो–फाल्सस इन ओम्नीबस</u>

48. यह सिद्धांत कि जब कोई साक्षी झूठ बोलता है तो साक्ष्य से पूर्णतः बचना चाहिये है, हमारे देश में आपराधिक न्यायशास्त्र के लिए कठोर रूप से लागू नहीं हो सकता है। अनाज से भूसी छानने के सिद्धांत को लागू करना होगा। तथापि, जब साक्ष्य अविभाज्य है तथा ऐसा प्रयास या तो असंभव होगा या साक्ष्य को अस्वीकार्य बना देगा, तो स्वाभाविक परिणाम बचने का होगा। उक्त सिद्धांत ने विधि का दर्जा नहीं ग्रहण किया है, बल्कि केवल सावधानी के नियम के रूप में लागु है। प्रकरण में विसंगति की प्रकृति को देखना होगा। जब विसंगतियां गवाह की विश्वसनीयता को बहुत हिला देने वाली होती हैं, जिससे न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि न तो इसे अलग करना संभव है और न ही इस पर भरोसा करना संभव है, तो यह उक्त न्यायालय पर है कि या तो वह इसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे।

49. विधि के उक्त सिद्धांत को इस न्यायालय ने आनंद रामचंद्र चौगुले बनाम सिदराय लक्ष्मण चौगला, (2019) 8 एससीसी 50 में विचार किया है, जो इस प्रकार है:

> "9. हमने संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है। पक्षों के बीच संबंध और एक भूमि विवाद का अस्तित्व जिसके संबंध में एक दीवानी मुकदमा भी लंबित था, निर्विवाद तथ्य हैं। यह तथ्य कि पक्षकारों के बीच हाथापाई के बाद एक मौखिक संघर्ष हुआ, जिसके परिणामस्वरूप चोटें आईं, दो न्यायालयों द्वारा तथ्य का एक समवर्ती निष्कर्ष है। यह तथ्य कि अभियुक्त ने उसी घटना के संबंध में एक प्राथमिकी भी दर्ज की, अ. स. 19 तथा अ. स. 22 के सबूतों से सिद्ध होता है, जांच अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि प्रत्यर्थी–अभियुक्त ने बीआरपीएस सी.आर. क्र. 79/02–चिह्नित प्र. डी–10 भी दर्ज किया था, जिसकी उनके द्वारा जांच नहीं की गई थी. इसी तरह, अ. सा. 11, पुलिस कांस्टेबल ने बयान दिया कि दो अभियुक्तों को बेलगाम के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था तथा वह वॉच ड्यूटी पर तैनात था। यह घटना 7–6–2002 की है तथा प्रत्यर्थी–अभियुक्त 1 तथा 2 को 11–6–2002 को आरोप मुक्त कर दिया गया था। उनकी चोट की रिपोर्ट अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लाई गई है और इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
>
> 10. अभियोजन पर सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे आरोपों को साबित करने का भार है। इसके विपरीत, अभियुक्त को केवल अभियोजन प्रकरण तथा उसकी प्रतिरक्षा की संभाव्यता के बारे में संदेह पैदा करना है। अभियोजन के विपरीत, अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित करने या साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि अभियुक्त ऐसी प्रतिरक्षा करता है जो असंभव नहीं है तथा जिसकी संभावना प्रतीत होती है, तो ऐसी प्रतिरक्षा के समर्थन में सामग्री है, अभियुक्त को आगे कुछ भी साबित करने की आवश्यकता

> नहीं है। संदेह का लाभ तब तक मिलना चाहिए जब तक कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम न हो।"

31. अ. सा. 20 जिसने बयान दर्ज किया है। चर्चा किए जाने पर, यह अत्यधिक संदिग्ध है विशेष रूप से उसे हुई चोटों के आलोक में कि क्या मृतक बयान देने के लिए पर्याप्त रूप से होश मे था,न केवल कटा घाव से लगातार खून बह रहा होगा, जो स्वाभाविक रूप से हुआ होगा, क्योंकि घटना के एक दिन बाद प्रकरण दर्ज किया गया था। इस पहलू पर गवाहों का बयान इस एक–दूसरे के विरोधाभासी है। इसके अलावा, जैसा कि अपीलार्थियों के अधिवक्ता द्वारा उचित रूप हेतु प्रस्तुत किया गया है, अभिलेखों के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि प्रदर्श पी.–28 मे अंगूठे के निशान के उपर लिखा किया गया था। यह थोड़ा अजीब है क्योंकि आम तौर पर एक अंगूठे का निशान बयान के बाद होता है यह बयान कि समाप्ति के पश्चात लगाया जाता है। हम अपनी जांच में पाते हैं कि अंगूठे के निशान के बाद भी, जिस पर स्पष्ट रूप से लेखन पाया गया था, कुछ और वाक्य लिखे गए थे। यह स्पष्ट रूप से इस विचार को विश्वसनीय बनाता है कि अंगूठे का निशान जल्दबाजी में एक खाली कागज पर लिया किया गया होगा और बाद में उसमें तथ्यों को भरा गया ।

32. उपरोक्त विश्लेषण से, हम तथाकथित बयान को वास्तव में मृतक द्वारा अ. सा. 20 को दिए गए बयान के रूप में मानने के इच्छुक नहीं हैं। किसी भी मामले में, विशेष रूप से अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों द्वारा दिए गए सबूतों के आलोक में इसे मृत्युकालिक बयान के रूप में नहीं लिया जा सकता है। हम अपीलार्थियों के अधिवक्ता द्वारा दिए गए निवेदन में बल पाते हैं कि प्रदर्श पी.–28 एक विधिक रूप से प्रशिक्षित दिमाग द्वारा बनाया गया प्रतीत होता है. मृतक हुकुम सिंह केवल हस्ताक्षर करना जानता है, इस तथ्य को तो छोड़िये कि उसने अपना अंगूठा का निशान लगाया जो उसे आयी, चोटों के कारण संभव हो सकता था। बयान को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एक कानूनी दिमाग काम कर रहा था, क्योंकि मृतक एक सामान्य उद्देश्य और सामान्य इरादे के बीच के अंतर को नहीं जानता होगा। बयान विशेष रूप से उन कारणों के लिए दूसरों को भी बाहर करता है जिन्हें हम नहीं जानते हैं। बाहर किए गए व्यक्तियों को उसी विवेचना अधिकारी द्वारा गवाह के रूप में दिखाया गया था।

<u>मृत्युकालिक कथन :</u>

33. अ. सा. 20 द्वारा बिल्कुल भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उसने अपनी पहली रिकॉर्डिंग के बाद भी मजिस्ट्रेट या चिकित्सक की सेवाओं का उपयोग क्यों नहीं किया है हम पहले ही इस तथ्य पर चर्चा कर चुके हैं कि उन्होंने बयान दिया था कि बयान एक बार फिर दर्ज किया गया था, जो कि अभिलेख का हिस्सा नहीं था। यदि मृतक हुकुम सिंह इतनी बुरी तरह से घायल था, और इसलिए अस्पताल में भर्ती होने के कुछ दिनों के भीतर उसकी मृत्यु हो गई, तो अ. सा. 20 को न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में बयान दर्ज करने और चिकित्सक द्वारा विधिवत प्रमाणित करने से कोई नहीं रोक सकता था। हम पहले ही जिस अकाट्य निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं, वह यह है कि मृतक पर्याप्त चेतना की स्थिति में नहीं था कि बयान दे सके, और यही कारण है कि बाद में अंगूठे का निशान लिया गया, और उसके बाद एक बयान बनाया गया था. विवेचना अधिकारी द्वारा मृत्युकालिक कथन को दर्ज करने के मुद्दे पर, हम **मुन्नू राजा और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1976) 3 एससीसी 104** मामले में इस न्यायालय के निर्णय को दोहराना चाहेंगे:

> "11. तथापि, अंत करने से पूर्व हम यह उल्लेख करते हैं कि उच्च न्यायालय को तीसरी मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी–2 पर कोई निर्भरता नहीं रखनी चाहिए थी, जिसे अस्पताल में मृतक द्वारा दिया गया कहा गया । जिस विवेचना अधिकारी ने यह बयान दर्ज किया है, उसने निस्संदेह एक चिकित्सक को उपस्थित रखने की सावधानी बरती थी और ऐसा प्रतीत होता है कि जब बयान दर्ज किया गया था मृतक के कुछ दोस्त और रिश्तेदार भी उस समय मौजूद थे। परन्तु यदि विवेचना अधिकारी ने सोचा कि बहादुर सिंह की हालत ठीक नहीं है, तो उसे मृत्युकालिक बयान दर्ज करने के लिए एक मजिस्ट्रेट की सेवाओं की मांग करनी चाहिए थी। विवेचना अधिकारी स्वाभाविक रूप से अन्वेषण की सफलता में रुचि रखते हैं और विवेचना अधिकारी द्वारा अन्वेषण के दौरान मृत्युकालिक बयान दर्ज करने की प्रथा को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हमने अस्पताल में अभिलिखित मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी–2 को अपने विचार से बाहर कर दिया है।

"**यह न्यायालय झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1494 के मामले मे :**

> "45. इस आशय का कोई नियम नहीं है कि मरने से पहले दिया गया बयान तब अस्वीकार्य है जब इसे मजिस्ट्रेट के बजाय पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाता है। यद्यपि यदि संभव हो तो मृत्युकालिक कथन को आदर्श रूप से एक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस

कर्मियों द्वारा दर्ज किए गए मृत्युकालिक कथन केवल इसी कारण से अस्वीकार्य हैं। पुलिस द्वारा दर्ज किया गया मृत्युकालिक कथन स्वीकार्य है या नहीं, इसका मुद्दा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद तय किया जाना चाहिए।"

<u>शिनाख्त परेड परीक्षण :</u>

34. यह पाते हुए कि प्रदर्श पी–28 पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, हम यह अभिनिर्धारित करने के लिए प्रवृत्त हैं कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के माध्यम से पेश किए गए सबूत भी विश्वसनीय नहीं हैं। साक्षी आरोपी का नाम नहीं बता पा रहे हैं जिस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। हालाँकि, उन्होंने अभियुक्तों की पहचान 2 से 3 वर्षों के बाद पहली बार केवल न्यायालय में की है। हम शिनाख्त परेड परीक्षण के महत्व के प्रति पूरी तरह सचेत हैं। निश्चित रूप से इस तरह के प्रकरण में ऐसा किया जाना चाहिए था। यद्यपि एक परीक्षण पहचान परेड साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, लेकिन कभी–कभी यह प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को अधिक विश्वसनीयता देकर अभियोजन के प्रकरण को मजबूती प्रदान करता है । इस न्यायालय ने **गिरीसन नायर तथा अन्य बनाम केरल राज्य, (2023) 1 एससीसी 180**, वाले मामले में अभिनिर्धारित किया की :

"28. हम शुरुआत में इस बात पर ध्यान दें सकते हैं कि अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ किए गए प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने दंगे में भाग लेने वाले तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल आरोपियों के नाम या पहचान नहीं बताई। इसलिए, विवेचना अधिकारी (अ. सा. 84) को आवश्यक रूप से एक शिनाख्त परेड आयोजित करना पड़ा। शिनाख्त परेड आयोजित करने का उद्देश्य के तीन कोण हैं । पहला, साक्षियों को स्वयं को संतुष्ट करने में सक्षम बनाना कि जिस अभियुक्त पर वे संदेह करते हैं,वास्तव में अपराध के संबंध में उनके द्वारा देखा गया था। दूसरा, विवेचना अधिकारियों को संतुष्ट करना कि संदिग्ध वह वास्तविक व्यक्ति है जिसे गवाहों ने कथित घटना के संबंध में देखा था। तीसरा, पहली मुलाकात के आधार पर साक्षियों की स्मृति का परीक्षण करना तथा अभियोजन को यह तय करने में सक्षम बनाना कि क्या उन सभी या उनमें से किसी को अपराध के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में उद्धृत किया जा सकता है (मुल्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2010) 3 एससीसी 508, पैरा 44, 45 तथा 55:(2010) 2 एस. सी. सी. (क्री.) 1150)।

29. शिनाख्त परेड पुलिस द्वारा जांच के चरण से संबंधित हैं। यह सुनिश्चित है कि अन्वेषण सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह विवेक का नियम है जिसका पालन उन मामलों में किया जाना अपेक्षित है जहां अभियुक्त,साक्षी या शिकायतकर्ता को ज्ञात नहीं है (मातृ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [मातृ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1971) 2 एससीसी 75, पैरा 17:1971 एस. सी. सी. (क्रिमि.) 391] मुल्ला बनाम उत्तर प्रदेश

राज्य [मुल्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2010) 3 एस. सी. सी. 508, पैरा 41 और 43:(2010) 2 एससीसी (क्री.) 1150] तथा सी. मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य [सी. मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य, (2010) 9 एससीसी 567, पैरा 42: (2010) 3 एस. सी. सी. (क्री.) 1402) साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत शिनाख्त परेड का साक्ष्य स्वीकार्य है। हालाँकि, यह एक ठोस सबूत नहीं है इसके बजाय, इसका उपयोग वाद के समय विधि के समक्ष साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। इसलिए, भले ही शिनाख्त परेड आयोजित हो, सभी मामलों में इसे भरोसेमंद साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिस पर किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि कायम रखी जा सकती है (हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम लेख राज) (2000) 1 एससीसी 247, पैरा 3 : 2000 एससीसी (क्री.) 147] तथा सी. मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य [सी. मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य, (2010) 9 एससीसी 567, पैरा 42 : (2010) 3 एस. सी. सी. (क्री.) 1402)

30. जांच एजेंसी और अभियुक्त के लिए और न्याय के उचित प्रशासन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद बिना किसी परिहार्य और अनुचित देरी के शिनाख्ती परेड की जाती है। शिनाख्ती परेड से पहले अभियुक्तों को गवाहों को दिखाए जाने की संभावना को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है। यह अभियुक्त का एक बहुत ही सामान्य तर्क है, तथा इसलिए, अभियोजन को यह सुनिश्चित करने हेतु सतर्क रहना होगा कि इस तरह के आरोप लगाने की कोई गुंजाइश न हो। तथापि, यदि परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हैं तथा कुछ विलंब होता है तो इसे अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं कहा जा सकता। किंतु इस बारे में कारण दिए जाने चाहिए कि विलंब क्यों हुआ (मुल्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [मुल्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2010) 3 एससीसी 508, पैरा 45:(2010) 2 एससीसी (क्री.) 1150] तथा सुरेश चंद्र बाहरी बनाम बिहार राज्य [सुरेश चंद्र बाहरी बनाम बिहार राज्य, 1995 अनुपूरक (1) एससीसी 80 :1995 एस. सी. सी. (क्री.) 601)"

<u>भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 149:</u>

35. साक्षी स्पष्ट रूप से अभियुक्त के पक्ष से संबंधित व्यक्तियों के एक बड़े समूह की उपस्थिति के बारे में बताते हैं। वास्तव में, साक्ष्य इस प्रभाव के लिए है कि उन्होंने भी घटना में भाग लिया था। भा.दं.सं. की धारा 149 की प्रयोज्यता से संबंधित प्रकरण में न्यायालय की ओर से थोड़ी और संवीक्षा की आवश्यकता है क्योंकि अपराध करने वाले वास्तविक अभियुक्त के साथ–साथ व्यक्तियों को भी फंसाने की प्रवृत्ति हो सकती है। ऐसे मामलों में साक्ष्य की जांच करते समय न्यायालयों को बहुत सतर्कता बरतनी होगी। वर्तमान प्रकरण में, हम पाते हैं कि भा.दं.सं. की धारा 149 के तहत आरोपी व्यक्तियों को संलिप्त करना असुरक्षित होगा, जो स्पष्ट रूप से इस न्यायालय द्वारा अरविंद कुमार (उपर्युक्त), 21 में निर्धारित किया गया है।

"धारा 149 का विस्तार :

50. संहिता की धारा 149 एक समान उद्देश्य से संबंधित है। इस प्रावधान को आकर्षित करने के लिए एक जमाव का साक्ष्य होना चाहिए जिसका सामान्य उद्देश्य विधि विरुद्ध हो। इस प्रावधान में रचनात्मक या प्रतिनियुक्त दायित्व की अवधारणा को विधि विरुद्ध जमाव के एक सदस्य द्वारा किए गए अपराध को सामान्य उद्देश्य वाले अन्य लोगों के लिए बनाया गया है। यह सामान्य उद्देश्य को साझा करना है जो एक द्वारा दूसरे सदस्यों के प्रति किए गए अपराध को आकर्षित करता है। अतः, किसी जमाव में केवल उपस्थिति एक अपराध नहीं होगी, यह तब एक हो जाती है जब जमाव विधि विरुद्ध होती है। किसी अपराध को करना एक सामान्य उद्देश्य है जिसके परिणामस्वरूप कथित अपराध किया जा रहा है। हालांकि यह एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, एक काल्पनिक कल्पना को दूसरों के साथ–साथ उनके अपराध करने के उद्देश्य में समानता के सम्यक् लागू किया जाता है। इस प्रकार, यह अभियोजन पक्ष को साबित करना है कि आवश्यक संख्या के साथ सभा का अस्तित्व है, सभी हेतु सामान्य उद्देश्य है, उद्देश्य गैरकानूनी है, तथा उसके एक सदस्य द्वारा अपराध किया गया है। न्यायालयों को भा.दं.सं. की धारा 149 के तहत आरोपित अभियुक्तों के प्रकरण में अधिक सतर्कता तथा सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसमें एक काल्पनिक कहानी शामिल है। अतः, यह साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर उच्च स्तर की जिम्मेदारी डालने की आवश्यकता है कि धारा 149 भा.दं.सं. के तहत एक अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति अन्य लोगों द्वारा किए गए अपराध के लिए दंडित होने के लिए उत्तरदायी है। पूर्वोक्त पहलू को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत को इस न्यायालय ने रंजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2013) 16 SCC 752 में नोट किया है:

> 35. बालादीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [एआईआर 1956 एससी 181:1956 क्रि एल जे 345] शुरुआती मामलों में से एक था जिसमें इस न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 149 पर कार्रवाई की थी। न्यायालय ने माना कि एक सभा में मात्र उपस्थिति किसी व्यक्ति को विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य नहीं बनाती है, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि उसने ऐसा कुछ किया है या करने में चूक की है जो यह दर्शाता है कि वह विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य था या जब तक मामला भा.दं.सं. की धारा 142 के तहत नहीं आता है। परिणामस्वरूप यदि घटना के स्थान पर एक परिवार के सभी सदस्य और गांव के अन्य निवासी इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों के रूप में स्वत: निंदित नहीं किया जा सकता है। ऐसे सभी मामलों में अभियोजन पक्ष को यह दिखाने के लिए सबूत पेश करने होंगे कि एक विशेष अभियुक्त ने यह स्थापित करने के लिए कि वह विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य था, कुछ प्रत्यक्ष कार्य किया था।इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के मामले की जांच की आवश्यकता होगी ताकि मात्र दर्शक जो सभा में शामिल हुए थे और जो इसके उद्देश्यसे अनजान थे, उन्हें विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों के रूप में चिह्नित नहीं किया जा सकता है।
>
> 36.बालादीन प्रकरण [ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 181:1956 क्रिमि. एल. जे. 345 पर मसलती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [ए आई आर 1965 एस

सी 202:(1965) 1 क्रिमि. एल. जे. 226] जहां इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामले जिनमें ऐसे व्यक्ति जो केवल निष्क्रिय गवाह हैं और सभा के सामान्य उद्देश्य को साझा किए बिना जिज्ञासा से सभा में शामिल हुए थे, एक अलग पायदान पर खड़े थे; अन्यथा यह साबित करना आवश्यक नहीं था कि उस व्यक्ति ने सभा के सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में कुछ अवैध कार्य किया था या किसी चूक का दोषी था, इससे पहले कि भा.दं.सं. की धारा 149 की सहायता से सभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए कार्य के परिणामों के साथ उपबंधित किए जाने से पूर्व यह साबित करना आवश्यक नहीं था। इस संबंध में निम्नलिखित परिच्छेद उपयुक्त है :(ए. आई. आर. 1965 मसालती प्रकरण सी. 202:(1965) 1 क्रिमि. एल. जे. 226), ए. आई. आर.211, पैरा 17)

> "17... .ऐसे प्रकरण में यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सभा में पांच या अधिक व्यक्ति शामिल थे तथा क्या उक्त व्यक्तियों ने धारा 141 द्वारा निर्दिष्ट एक या अधिक सामान्य उद्देश्यों को स्वीकार किया था। इस प्रश्न का निर्धारण करते समय, यह विचार करना प्रासंगिक हो जाता है कि क्या सभा में कुछ व्यक्ति शामिल थे जो केवल निष्क्रिय गवाह थे तथा सभा के सामान्य उद्देश्य को ध्यान में रखे बिना निष्क्रिय जिज्ञासा के रूप में सभा में शामिल हुए थे। इस संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा बालादीन [एआईआर 1956 एससी 181] में की गई टिप्पणियांः 1956 क्रिमि. एल. जे. 345) का विधि में अन्यथा महत्व है। यह कहना सही नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को किसी विधि विरुद्ध सभा का सदस्य ठहराए जाने से पहले यह अवश्य ही दिखाया जाना चाहिए कि उसने कोई अवैध प्रत्यक्ष कार्य किया था या सभा के सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किसी अवैध चूक का दोषी था। वास्तव में, धारा 149 यह स्पष्ट करती है कि यदि कोई अपराध किसी विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किया जाता है, या जैसे कि उस सभा के सदस्यों को उस के उद्देश्य जो अभियोजन में किए जाने की संभावना के बारे में पता था, प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के समय, उसी सभा का सदस्य है, उस अपराध का दोषी है; और यह सशक्त रूप से इस सिद्धांत को सामने लाता है कि धारा 149 द्वारा निर्धारित दंड एक अर्थ में प्रतिनिधि है और हमेशा इस आधार पर आगे नहीं बढ़ता है कि अपराध वास्तव में विधिविरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य द्वारा किया गया है।
>
> (जोर दिया गया)

37. पुनः बाजवा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1973) 1 एस. सी. सी. 714] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जबकि एक गुटबाजी से ग्रस्त समाज में हमेशा निर्दोष को भी दोषी के साथ फंसाने की प्रवृत्ति होती है, दोषी के साथ निर्दोष को दोषी ठहराने के जोखिम के खिलाफ एकमात्र सुरक्षा स्वीकार्य साक्ष्य पर जोर देने में निहित है जो कुछ हद तक अभियुक्त को फंसाता है तथा न्यायालय की विवेक को संतुष्ट करता है।

> 39. एक गुट–ग्रस्त ग्रामीण समुदाय में, दोषियों के साथ–साथ निर्दोषों को भी फंसाने की प्रवृत्ति होती है, खासकर जब बड़ी संख्या में हमलावर अपराध करने में शामिल होते हैं, यह सामान्य ज्ञान का विषय है।ऐसे मामलों में साक्ष्य पक्षपातपूर्ण होना तय है, लेकिन जबकि अदालतें केवल उस आधार पर ऐसे सबूतों को हाथ से खारिज करने के लिए एक आसान रास्ता नहीं अपना सकती हैं, क्या किया जाना चाहिए कि साक्ष्यों की बारीकी से जाँच की जानी चाहिए जिस से न्याय को न्यायिक हत्या होने से बचाया जा सकता है।"

36. विनय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य, (1997) 1 एससीसी 283 में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि :

> "31... साक्ष्य का कोई नियम नहीं है कि कोई दोषसिद्धि तब तक आधारित नहीं हो सकती जब तक कि गवाहों की एक निश्चित न्यूनतम संख्या ने किसी विशेष अभियुक्त की विधि विरुद्ध जमावड़े के सदस्य के रूप में पहचान नहीं की हो। यह स्वयंसिद्ध है कि साक्ष्य की गणना नहीं की जानी चाहिए बल्कि केवल उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा यह सबूत की मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता है जो मायने रखती है। यहां तक कि एक एकल गवाह की गवाही, यदि पूरी तरह से विश्वसनीय है, तो वह एक विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य के रूप में एक आरोपी की पहचान स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। वैसे भी, जब विधि विरुद्ध जमाव का आकार काफी बड़ा है (जैसा कि इस मामले में है) तथा कई लोग घटना के गवाह होंगे, तो कम से कम दो विश्वसनीय गवाहों पर जोर देना एक विवेकपूर्ण अभ्यास होगा ताकि दंगों में भाग लेने वाले व्यक्ति की पहचान की जा सके। मसलती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [एआईआर 1965 एससी 202:(1964) 8 एस. सी. आर. 133) इस न्यायालय के चार न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने ऐसा सूत्र अपनाया है। इसे यहां उद्धृत करना उपयोगी हैः
>
> > "जहां एक दाण्डिक न्यायलय को बड़ी संख्या में अपराधियों और बड़ी संख्या में पीड़ितों से जुड़े अपराध से संबंधित साक्ष्य देखना होता है तो सामान्यतः यह परीक्षण अपनाना चाहिये कि दोषसिद्धि केवल तभी कायम रह सकती है जब घटना के बारे एक सा वर्णन कर रहे हों ।

<u>प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्यः</u>

37. अ. सा. 12 के साक्ष्य पर काफी अवलम्ब किया गया है। इस तर्क को समझने में कोई कठिनाई नहीं है कि एक घायल साक्षी को उच्च स्थान पर रखा जाना चाहिए। तथापि, अ. सा. 12 का परीक्षण अ.सा. 20 द्वारा नहीं किया गया है। अ. सा. 12 अपने बयान में बार–बार इस स्थिति को स्पष्ट करता है। दण्ड–प्रक्रिया–संहिता की धारा 161 के तहत यदि अ. सा.12 का बयान, अभिलिखित किया गया है, तो चिह्नित नहीं किया गया है । यहां तक कि अ. सा. 20 ने भी एक स्तर पर कुछ

विरोधाभासों के साथ उक्त तथ्य को स्वीकार किया है। यह हमें पुन: इस निष्कर्ष पर लाता है कि अ. सा. 12 के साक्ष्य पर विश्वास करना असुरक्षित होगा, जो एक बार फिर न्यायालय के समक्ष पहली बार अभियुक्त की पहचान करता है। अन्वेषण के दौरान उनसे पूछताछ नहीं करने हेतु आत्यन्तिक रूप कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अतः, हम पाते हैं कि अ. सा. 12 के साक्ष्य पर अवलंब नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से भा.दं.सं. की धारा 149 के तहत आरोपों के आलोक में, जहां तक अपीलार्थियों का संबंध है।

38. उपरोक्त विरोधाभासों को देखने के बाद, हमारे पास इन अपीलों को स्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ने विभिन्न पहलुओं, जो कि हमने ऊपर चर्चा की थी, पर ध्यान पूर्वक विचार नहीं किया है । इस मामले को देखते हुए, हम अपीलार्थियों को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए पूर्वोक्त निर्णयों को अपास्त करने के लिए बाध्य हैं।

39. उक्त अपीलों को स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थी (ढोला उर्फ ढोलाराम) को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य प्रकरण में आवश्यक नहीं है।

40. लंबित आवेदनो, यदि कोई हो, का निराकरण किया जाता है।

(बी. आर. गवई) न्यायाधीश

(एम. एम. सुंदरेश) न्यायाधीश

नई दिल्ली
12 जनवरी, 2023

---00---

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**